



Elder Abuse

Providing information Raising awareness

May 2013



Introduction

Through the first Scottish national consultation of its kind, the Older People Services Development Project have revealed elder abuse as a previously-hidden problem within Black & Minority Ethnic (BME) communities.

Contrary to the perception BME communities 'always look after their own', this group of older people can face a range of difficulties. Indeed, it is sometimes the traditional reliance on family that can leave some older BME people vulnerable to financial, mental or even physical abuse.

Afraid to speak out for fear of abandonment, some of these older BME people are even unaware the problems they experience are actually termed as abuse.

The aim of this leaflet is to highlight a sensitive subject often swept under the carpet by BME communities, where older people who may already experience isolation and confusion through language and cultural difficulties can also be denied financial independence and the means to access support or necessary social services.

The Older People Services Development Project carried out a widespread consultation on elder abuse, in 2013, discovering a number of key issues.

This is a problem that is not restricted to those living with extended family, as abuse can also happen to older parents living in their own accommodation but whose children have control of their finances and make decisions on their behalf. In addition to financial abuse, problems reported included physical neglect and sometimes abuse, a lack of respect or compassion and loneliness and isolation. The consultation also found that while some older people are unhappy about their situation, they do not understand the term or what would constitute 'abuse'.

Clearly there is a need for a wider awareness of these problems, and to help identify the signs of elder abuse or neglect within BME communities. According to charity Action on Elder Abuse, more than 500,00 older people suffer some form of abuse in the UK. For older people in BME communities, this misery can be compounded by language or cultural barriers to accessing help and support.

दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो सकता है और इसका निशाना बनने वाले लोगों के अनुभव भी अलग अलग होते हैं।

इस पर्चे का उद्देश्य वृद्ध लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की संपूर्ण तस्वीर पेश करना और यह बताना है कि यदि किसी को शक हो कि उसकी जान पहचान वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो वे क्या कर सकते हैं।







वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्या है?

ऐक्शन ऑन ऐल्डर अब्यूज़ (दुर्व्यवहार पर गतिविधि)वाले इसकी यह परिभाषा देते हैं -

एक या अधिक बार किया गया अनुचित प्रकार का व्यवहार जिस संबंध में भरोसे की उम्मीद हो, और जो व्यवहार किसी वृद्ध को हानि या मानसिक क्लेश पहुंचाए (1993)

विभिन्न प्रकार का दुर्व्यवहार और उपेक्षा (लापरवाही)

दुर्व्यवहार कई अलग अलग प्रकार का हो सकता है तथा लोगों के साथ एक ही समय पर अलग अलग प्रकार का दुर्व्यवहार हो सकता है।

पैसे से संबंधित दुर्व्यवहार

कई बार देखभाल करने वाले, मित्र या परिवार वाले वृद्ध लोगों पर पैसों से संबंधित ऐसे फ़ैसले करने के लिए दबाव डालते हैं जो फ़ैसले वृद्ध लोग स्वयं नहीं करना चाहते। आम तौर पर इन बातों का संबंध किसी वसीयत या पावर ऑव अटारिनी द्वारा पैसों और संपत्ति का उपयोग करना, या विरासत के ख़र्च से बचना होता है। यह पैसों से संबंधित दुर्व्यवहार है। बिना अनुमित किसी के पैसे या संपत्ति लेना भी पैसों से संबंधित दुर्व्यवहार है।

वृद्ध लोगों पर दबाव डालने वाले हथकंडों में बुरी आर्थिक हालत बताकर ऋण लेने की कहानी बनाना और चालाकी से नकली काम करने वालों का घरों में आना भी शामिल है जो धोखे से उनसे पैसे लेते हैं और उनकी वस्तुएं चोरी करते हैं।

जबानी दुर्व्यवहार

जबानी दुर्व्यवहार यह होता है कि जिस व्यक्ति पर आप भरोसा करते हैं वही आपके साथ बदतमीजी से बोले, आप पर जबानी हमले करे और आपका अपमान करे। यह बहुत दुखद हो सकता है, जिससे भरोसा ख़त्म हो सकता है और स्वतंत्र ढंग से काम करने और ख़ुल कर बात करने से डर लगने लगता है।

मौलिक ज़रूरतें पूरी न करना

किसी की मौलिक जरूरतें पूरी न करना दुर्व्यवहार और लापरवाही है, जैसे टायलट जाने में मदद न मिलना, खाने में मदद न मिलना, सेहत से संबंधित मदद की कमी, देखभाल की योजना का पालन न करना, किसी की जरूरत के अनुसार उसे खाने और पीने के लिए न देना, लोगों से मिलने और चीजों का आनंद लेने के अवसर न देना।

भावक या मानसिक दुर्व्यवहार

भावुक या मानसिक दुर्व्यवहार में ये बातें शामिल हो सकती हैं – जैसे किसी के प्रति लगातार लापरवाही, धौंसबाजी, धमकी देना, अपमान करना या नीचा दिखाना। किसी को सही समय पर खाने, सोने, जागने या कपड़े पहनने या किसी ढंग से संबोधित किए जाने का अधिकार नदेना भी भावुक या मानसिक दुर्व्यवहार में शामिल हैं।

यौन (सेक्सुअल) दुर्व्यवहार

यौन (सेक्सुअल) दुर्व्यवहार के बारे में सबसे कम बात होती है, परंतु वृद्ध लोगों के साथ यह भी होता है। कोई भी अनचाहा यौन संपर्क, घुमा फिरा कर बात करना, या शब्दों द्वारा ऐसे सुझाव देना असहनीय है, चाहे आपका लिंग या उम्र कोई भी हो।

शारीरिक दुर्व्यवहार

शारीरिक दुर्व्यवहार में मारपीट, पाबंदिओं का अनुचित प्रयोग, जरूरत से अधिक दवाइयाँ देना, बलपूर्वक खिलाना, किसी को उठाने या उसका स्थान बदलते समय अनुचित बल का प्रयोग करना शामिल हैं।



संस्थाई दुर्व्यवहार

जब कोई संस्था सेवाएं प्रदान करने की अपनी सुविधा को उन लोगों की जरूरतों से अधिक महत्त्व देने लगे जिनकी सेवा करने का काम उसे सौंपा गया है, तब ऐसा होता है। पब्लिक संस्थाओं के लिए यह जरूरी है कि वे मानवीय अधिकारों के अनुसार सेवाएं दें, जैसे कि –

- जीने का अधिकार
- शारीरिक कष्ट, अपमान और दुर्व्यवहार से रक्षा का अधिकार
- निजी और पारिवारिक जीवन, घर या पत्र व्यवहार का अधिकार

संस्थाई दुर्व्यवहार के कुछ उदाहरण ये हैं -

- "घड़ी देख कर" शौचालय (टायलट) का समय निश्चित करना
- किसी की पसंद को ध्यान में न रखकर खाने पीने के समय निश्चित करना
- देखभाल की योजनाओं का पालन न करना
- प्राईवेसी (गोपनीयता) की कमी
- निजी वस्तुओं और पैसों तक पहुँच न होने देना
- धार्मिक या सभ्याचारक विश्वासों का सम्मान न करना
- बालिगों के साथ बच्चों की तरह बात करना

भेदभाव वाला दुर्व्यवहार

इक्वालिटी ऐक्ट 2010 के अंतर्गत, पब्लिक संस्थाएं किसी के लिंग, नस्ल, नस्ली पृष्ठभूमि, सभ्याचार, धर्म या विश्वास, भाषा, यौन झुकाव, राजनीतिक विचारों, या उम्र के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकतीं।

दुर्व्यवहार का ख़तरा किसे है?

याददाशत की कमज़ोरी और अपनी बात न समझा सकने के कारण, कुछ वृद्ध लोगों को दुर्व्यवहार का ख़तरा अन्य लोगों से अधिक हो सकता है,क्योंकि वे दुर्व्यवहार की पहचान करके उसके बारे में बता नहीं सकते।

आपको दुर्व्यवहार का कम ख़तरा है यदि -

- आप अपने पैसों का प्रबंध सही ढंग से रख सकते हैं
- अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकते हैं
- अपना ध्यान ख़ुद रख सकते हैं
- आपके बहुत से मित्र और परिवार के लोग हैं





दुर्व्यवहार कौन करते हैं?

वृद्ध लोगों के साथ दुर्व्यवहार प्राय: वे लोग करते हैं जिन्हें वे जानते हैं और जिन पर वे भरोसा करते हैं। दुर्व्यवहार पित, पत्नी, साथी, बेटा बेटी, पोता पोती, देखभाल करने वाले, मित्र, पड़ोसी या भरोसे के स्थान वाले अन्य लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों के साथ दुर्व्यवहार वे लोग करते हैं जिनकी वे देखभाल करते हैं।

कई बार दुर्व्यवहार देखभाल करने वाले ऐसे लोग भी करते हैं जो सही ढंग से देखभाल नहीं कर सकते और हालात को संभाल नहीं सकते।

दुर्व्यवहार करने वाले कुछ लोग यह काम जानबूझ कर करते हैं, परंतु कुछ को इतनी समझ ही नहीं होती कि उनका व्यवहार किसी को हानि पहुँचा सकता है, जैसे कि वृद्ध लोगों के बारे में फ़ैसलों में उन्हें शामिल न करना, या उन्हें कहना कि वे कुछ मित्रों या परिवार के लोगों से न मिलें।

दुर्व्यवहार कहाँ होता है?

दुर्व्यवहार घर में, देखभाल करने वाले के घर में, डे-केअर या रेज़ीडेंशियल केअर होम में या आम पब्लिक में हो सकता है, और कई बार कोई गवाह नहीं होता, और कई लोगों को दुर्व्यवहार के बारे में पता भी नहीं होता।

अपनी रक्षा कैसे करें

अपनी रक्षा करने के सबसे अच्छे ढंगों के बारे में सोचते समय यह याद रखना जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं।

यह बात स्पष्ट है कि दुर्व्यवहार करने वाले उन लोगों से अनुचित लाभ उठाते हैं जो अपने समुदाय से या अन्य लोगों से अलग हो गए हों। कुछ दुर्व्यवहार करने वाले अपने शिकार को अधिक अकेला महसूस करवा कर उसे अपने पर निर्भर बना कर उसे अपने वश में कर लेते हैं।

इस ख़तरे को कम करने के लिए, आप कुछ काम कर सकते हैं ताकि आप यकीनी तौर पर अपने जीवन पर और चीज़ों के चुनाव के अधिकार पर अधिक से अधिक काबू रख सकें।



ख़ुद को सुरक्षित रखने की योजना बनाना

आप पहले ही से योजना बना कर और अपने जीवन के बारे में फ़ैसले लेकर ख़ुद को सुरक्षित बना सकते हैं, और ये फ़ैसले अन्य लोगों पर न छोड़ें जब हालात आपके वश में नहीं रहेंगे। आप इन बातों के बारे में विचार कर सकते हैं –

कानूनी मुद्दे

 आप कानूनी कामों के चुनाव के बारे में सलाह सिल्वर लाईन स्काटलैंड से या अपने स्थानीय सिटीजन्स ऐड्वाईस ब्यूरो से ले सकते हैं, परंतु हमारी सलाह है कि कोई भी अंतिम फ़ैसला लेने से पहले आप किसी सोलिस्टर (वकील) से सलाह जरूर लें। अपने पैसों या घर से संबंधित किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वतंत्र सलाह लें।

यह फ़ैसला करें कि यदि आपकी मानसिक शिक्त स्माप्त हो जाए तो आप अपने पैसों, संपत्ति, देखभाल और भलाई की जिम्मेदारी किसे संभालना चाहते हैं, और आप पावर ऑव अटारिनी तैयार करें।

- यह विचार करें कि आप अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति की संभाल की जिंमेदारी किसे संभालना चाहते हैं, और ऐसी वसीयत तैयार करें जो कानूनी तौर पर मान्य हो।
- यदि हालात बदल जाएं तो जरुरत के अनुसार पावर ऑव अटारिनी बदलें।

पैसे

- अपनी बैंक स्टेटमेंट नियमित रूप से चैक करते रहें।
- यदि अन्य लोग आपके लिए शॉपिंग करते हैं, तो रसीदों पर नज़र रखें कि कितने पैसे ख़र्च होते हैं।
- अपने बैंक के पिन (PIN) नंबर की जानकरी किसी को भी न दें।
- फोन और इंटरनेट पर होने वाली हेराफेरियों से सावधान रहें जो आपके बैंक के बारे में जानकारी माँगने की कोशिश करेंगे।
- महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तथा मूल्यवान वस्तुएं लोगों की नजरों से दूर रखें।
- किसी ऐसे व्यक्ति को पैसे उधार न दें जिससे पैसे वापस मिलने की उम्मीद आपको न हो।
- जिन लोगों पर आपको भरोसा हो उन्हें अवश्य बताएं कि आप जरूरी वस्तुएं और दस्तावेज कहाँ रखते हैं।

रिहाइश और देखभाल

- भविष्य में अपनी रिहाइश और जरूरतों के बारे में सोचें।
- यदि अपने घर में स्वतंत्र ढंग से जीनें में आपको मदद चाहिए, तो बिरादरी में देखभाल के बारे में अपनी कौंसिल से बात करें।
- यदि आपने मदद लेने के लिए किसी को काम पर रखा है, तो उसके बारे में रेफ्रेंस चेक करें कि क्या वह किसी के लिए नौकरी करता है या अकेले काम करता है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप सेल्फ डायरेक्टिड स्काटलैंड से ले सकते हैं।
- यदि आपको किसी केअर होम या ऐसे घर में जाने की जरूरत है जहाँ आपको अधिक मदद मिल सके तो उपलब्ध घरों से संपर्क करें और खर्च होने वाले पैसों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें।
- यदि आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं या वे आपके साथ रहना चाहते हैं तो इस व्यवस्था के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में अलग अलग सलाह लें।
- यदि घर में कुछ काम करवाने की जरूरत है तो हो सकता है कि आपकी लोकल (स्थानीय) केअर ऐंड रिपेअर टीम से आपको मदद मिल सके।

आपके दरवाजे पर

- जब तक आप किसी को जानते न हों, या उसकी पहचान के बारे में पृष्टि नहीं कर लेते या आपने उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया,
 तब तक उसे अपने घर के अंदर न आने दें या आप उसका आना उस समय तैय कर सकते हैं जब आपके पास कोई हो।
- िकसी को घर के अंदर आने की इजाज़त देने से पहले हमेशा उसकी पहचान का सबूत माँगें, यदि शक हो तो उसकी कंपनी को फ़ोन करें। यदि वह व्यक्ति असली है तो वह बड़ी ख़ुशी से आपको ऐसा करने देगा।

आस पास के बारे में जानकारी

- यदि आपको चलने में मुश्किल आती है तो विचार करें कि आप बाहर जाकर बिना मदद के कैसे घूम फिर सकते हैं।
- पता करें कि यदि आपकी अकेले घूमने की स्वतंत्रता कम हो जाए तो आपको किन सेवाओं से मदद मिल सकती है।
- आपके आस पास जो काम आपको दिलचस्प लगते हैं उनके बारे में पता करें।

संपर्क रखें

- जिन मित्रों और परिवार के लोगों पर आपको भरोसा है उन्हें मिलते रहें, या फ़ोन, पत्र या इंटरनेट द्वारा उनके साथ संपर्क बनाए रखें।
 - दाँतों की और डाक्टरी अपाइंटमेंटों और टीके लगवाने और सेहत की जाँच पड़ताल की आम अपाइंटमेंटों पर जाएं। सेहत की देखभाल करने वाले कर्मचारी या डाक्टर किसी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को पहचानने के माहिर होते हैं।





यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है

दुर्व्यवहार किसी के साथ भी हो सकता है। यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि –

- इसमें आपका दोष नहीं है
- आपके साथ यह नहीं होना चाहिए
- आपको निर्भय होकर जीने का अधिकार है
- आपको सुरक्षित रहने, अच्छे संबंध रखने और अपने जीवन को अपने ही काबू में रखने का अधिकार है
- आप दुर्व्यवहार करने वाले के व्यवहार को न बदल और न ही काबू में कर सकते हैं
- समय बीतने पर दुर्व्यवहार प्रायः अधिक बुरा हो जाता है

आप फ़ैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए – यह जरूरी है कि आप वे काम चुनें जो आप आसानी से कर सकें और जो आपके लिए सुरक्षित हों। आप ये काम कर सकते हैं –

किसी के साथ बात करें – जिस पर आपको भरोसा हो। कई बात दुर्व्यवहार के बारे में बात करने से ही यह फ़ैसला करने में मदद मिल सकती है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। यदि आप अपने किसी नज़दीकी व्यक्ति से बात नहीं करना चाहते, तो सिल्वर लाईन स्काटलैंड या ऐक्शन ऑन ऐल्डर अब्यूज़ जैसी संस्थाएं हैं जिन्हें आप फ़ोन कर सकते हैं।

दुर्व्यवहार करने वाले या वाली से बात करें, या किसी से कहें कि वह आपकी ओर से बात करे। उसे स्पष्ट बता दें कि उसका व्यवहार सहन करने योग्य नहीं है और यह बंद होना चाहिए। कई बार आपके परिवार या निकट के लोगों को पता ही नहीं होता कि आप अप्रसंत्र हैं, जब तक आप उन्हें न बताएं। ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका प्रभाव हो सके। जैसे आपकी कौंसिल का सोशल वर्कर या पुलिस। अडल्ट सुपोर्ट ऐंड प्रोटेक्शन (स्काटलैंड) 2007 ऐक्ट (कानून) स्थानीय कौंसिलों को यह अधिकार देता है कि जिन लोगों को हानि पहुँचने का ख़तरा है वे उनकी पहचान करके उन्हें सुरक्षा दें। कौंसिल की कार्यवाई आपके हालात के अनुसार होगी, और जहाँ तक हो सके आपकी इच्छाओं के बारे में पूछा जाएगा। दुर्व्यवहार के बारे में आपको अपने जी पी डाक्टर या सेतह की देखभाल करने वाले किसी अन्य कर्मचारी से भी सलाह करनी चाहिए। यदि अपने हालात के बारे में बताने के लिए आपको मदद चाहिए, तो कोई स्वतंत्र ऐड्वोकेट (हिमायती) आपकी मदद कर सकता है और सलाह दे सकता है कि आपके लिए कौनसा काम ठीक है।

कानूनी सलाह लें – आप अपनी वसीयत या पावर ऑव अटारिनी लिखने या बदलने, पैसे या संपत्ति वापस लेने या कोई ऐसा कानूनी झंझट सुलझाने के लिए कानूनी सलाह ले सकते हैं जिसमें आपको फँसाया गया। हो सकता है कि इस काम पर ख़र्च के लिए आपको कानूनी मदद (लीगल एड) भी मिल सके।

यदि आप मदद लेने को तैयार नहीं, तो ठीक है – इच्छा आपकी है। परंतु इसके बारे में सलाह लेना ठीक होगा, हो सकता है कि दुर्व्यवार के बाद आप कुछ करना चाहें।



मदद माँगना

मदद माँगना किसी समय भी कठिन हो सकता है, परंतु यह काम और भी कठिन होता है यदि कोई वृद्ध व्यक्ति इसके बारे में बात करने से झिझके क्योंकि –

- उसे चिंता है कि परिवार का कोई व्यक्ति या देखभाल करने वाला मुसीबत में फँस सकता है
- उसे शर्म महसूस होती है
- उसे लगता है कि वह बोझ है और दुर्व्यवहार होने में उसका अपना ही दोष है
- वह दुर्व्यवहार करने वालों पर निर्भर है (देखभाल, पैसों या भावुक मदद के लिए)
- उसे चिंता है कि बदला लिया जाएगा और दुर्व्यवहार अधिक बुरा हो जाएगा
- उसे यह बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है
- वे इस बात को गुप्त रखना चाहते हैं और उन्हें यह चिंता है कि अन्य लोगों को पता चल जाएगा
- उसे सेवाओं और मदद और मिल सकने वाली देखभाल के बारे में मालूम नहीं
- उसे डर है कि नये हालात वर्तमान दुर्व्यवहार से अधिक बुरे होंगे
- उसके पास ऐसी जानकारी नहीं जिसकी मदद से वह सोच समझ कर फ़ैसला कर सके।



यदि आपको लगता है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप किसी को बताएं

विभिन्न लोगों के लिए और विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार के लक्षण विभन्न प्रकार के होते हैं। इस लक्षणों में व्यवहार में परिवर्तन, बेचैनी, किसी के साथ अकेले होने में घबराहट, अन्य लोगों से दूर रहना, क्रोध आदि शामिल हैं।

बहुत से लोग अपने मित्रों तथा पड़ोसियों के जीवन में दख़ल देने से झिझकते हैं, परंतु बहुत से लोगों के साथ दुर्व्यवहार होता है और वे स्वयं के लिए मदद नहीं ले सकते, इस लिए चिंता प्रकट करने के लिए उन्हें आस पास के अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है।

यदि आपको विश्वास है कि किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ध्यान से सोचें कि उसे मदद देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और यदि आपको पक्का पता नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, तो इस पुस्तिका के अंत में बताई गई संस्थाओं में से किसी से सलाह लें। हो सकता है कि मदद के काम में आप सीधे शामिल न होना चाहें, परंतु यह भी हो सकता है कि कोई अपराध हुआ हो और तुरंत किसी कानूनी सेवा को शामिल करना सबसे अच्छी बात हो, या यह कि यदि आप सीधे उन तक पहुँच करें तो दुर्व्यवहार करने वालों से आपको ख़तरा हो सकता है।

यदि आप यह समझ कर किसी से बात करना चाहें कि उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसे अवसर दें कि वह जहाँ तक हो सकते अधिक से अधिक बात करे, परंतु यह याद रखें कि वह समस्या के होने से इनकार भी कर सकते हैं। उसे बताएं कि आप चिंतित क्यों हैं, परंतु किसी पर भी दोष मढ़ना जरूरी नहीं।

यदि वृद्ध व्यक्ति कहे कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो शांत रहें और यह फ़ैसला करने में उसकी मदद करें कि उसके लिए क्या करना उचित है।





मदद कहाँ से लें

आप सिल्वर लाईन स्काटलैंड हेल्पलाईन को फ़ोन कर सकते हैं 0800 4 70 80 90

सिल्वर लाईन स्काटलैंड गोपनीय मुफ्त हेल्पलाईन है जो स्काटलैंड में प्रतिदिन 24 घंटे सलाह देती है। यहाँ वृद्ध लोगों और उनके मित्रों और परिवार वालों को मैत्रीपूर्ण ढंग से जानकारी और सलाह मिलती है।

ऐक्शन ऑन ऐल्डर अब्यूज हेल्पलाईन 080 8808 8141

ऐक्शन ऑन ऐल्डर अब्यूज (AEA) एक विशेष संस्था है जो केवल वृद्ध लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की समस्या से निपटती है। यदि आप इन्हें फ़ोन करें तो इनका नंबर आपके फ़ोन बिल में नहीं आएगा।

ऐल्साईमर स्काटलैंड 24 घंटे डिमेंशिया हेल्पलाईन 0808 808 3000

24 घंटे चलने वाली डिमेंशिया फ्रीफोन हेल्पलाईन स्काटलैंड में डिमेंशिया वाले लोगों, उनकी देखभाल करने वालों, संबंधियों और कर्मचारियों को डिमेंशिया से संबंधित सलाह किसी भी व्यक्ति को देती है।

देखभाल करने वालों के ग्रुप

केअरर्स ट्रस्ट स्काटलैंड 0300 123 2008

केअरर्स ट्रस्ट स्काटलैंड (पुराना नाम प्रिंसेस रायल ट्रस्ट फ़ॉर केअरर्स) स्काटलैंड में 1991 से काम कर रहा है। स्काटलैंड में देखभाल करने वालों सबसे अधिक मुकम्मल सेवाएं ये देते हैं।

केअरर्स स्काटलैंड ऐड्वाईस लाईन 0808 808 7777

केअरर्स स्काटलैंड चैरिटी है जो उन लोगों ले लिए बनाई गई है जो किसी वृद्ध संबंधी, या परिवार के किसी अपंग व्यक्ति की देखभाल करते हैं। ये केअरर्स यु के का भाग हैं।

ऑफ़िस ऑव द पब्लिक गार्डीअन (स्काटलैंड) 01324 678300

ऑफ़िस ऑव द पब्लिक गार्डीअन इन स्काटलैंड का आम काम उन व्यक्तियों का निरीक्षण करना है जो ऐसे लोगों के पैसों और संपत्ति का प्रबंध चलाने के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

कौंसिल सोशल वर्क डिपार्टमेंट

फोन बुक में देखें या सिल्वर लाईन स्काटलैंड को फ़ोन करें और हम इनका फ़ोन नंबर आपके लिए ढूँढ देंगे।

सेल्फ़ डायरेक्टड सुपपोर्ट स्काटलैंड

www.selfdirectedsupportscotland.org.uk यह वेबसाईट ऐसा एक स्थान है जहाँ से आप सोशल केअर सर्विसिज का उपयोग करने वालों के लिए स्वयं अपनी मदद करने और सेहत की देखभाल और सामाजिक देखभाल करने वालों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

पुलिस स्काटलैंड (मुसीबत के समय) नंबर 999

पूरे स्काटलैंड में पुलिस का काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। (अन्य समय) नंबर 101 आपके निकट के पुलिस स्टेशन से आपका संपर्क करवाया जाएगा।

विमेन्ज एड हेल्पलाईन 0808 2000 247

विमेन्ज एड एक विशेष चैरिटी है जो औरतों और बच्चों से होने वाली घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए काम करती है। हम यू के में 300 से अधिक तानोंबानों की मदद करते हैं जो ख़ास तौर पर घरेलू हिंसा से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं।

अब्यूज्ड मेन्न इन स्काटलैंड (AMIS) हेल्पलाईन

अब्यूज्ड मेन्न इन स्काटलैंड (AMIS) राष्ट्रीय संस्था है जो उन पुरुषों की मदद करती है जिनके साथ घर में दुर्व्यहार हुआ है या होता है।

सिटीजन्ज ऐड्वाईस ब्यूरो

सिटीजन्ज ऐड्वाईस डायरेक्ट को फ़ोन करें या सिटीजन्ज ऐड्वाईस स्काटलैंड को फ़ोन करके अपने निकट के ब्यूरो के बारे में पता करें।

मनी ऐड्वाईस सर्विस


मनी ऐड्वाईस सर्विस लोगों को अपने पैसों का प्रबंध ठीक ढंग से चलाने में मदद देने के लिए सीधे निष्पक्ष सलाह मुफ्त देती है। यह अन्य संस्थाओं के सहयोग से उनके पैसों से अधिक से अधिक लाभ उठाने में उनकी मदद करती है। यह सरकार द्वारा बनाई गई स्वतंत्र संस्था है। 0808 800 0024

0808 800 9060

www.cas.org.uk/bureaux

0300 500 5000







Older People Services Development Project
Trust, Hanover (Scotland) and Bield Housing Associations
c/o Trust Housing Association
12 New Mart Road
Edinburgh EH14 1RL

www.EqualityScotland.com







